प्रैस विज्ञप्ति

4 दिसम्बर 2018

<u>जी.एस.टी प्रैक्टिशनरो के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा</u>

उपरोक्त विषय पर दिनांक 1.11.2018 और 29.11.2018 को जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जीएसटी प्रैक्टिशनरो (जीएसटीपी), अर्थात जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनरों या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के तौर पर, जो तत्कालीन कानून के अधीन कम से कम पांच वर्षों की नामांकन की पात्रता मापदंड को पूरा करते हों, ऐसे जी.एस.टी.पी हेतु 17.12.2018 को आयोजित होने वाली परीक्षा के संदर्भ में जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति का संदर्भ लें। इस परीक्षा के लिए, पूर्वसूचना के अनुसार 26.11.18 के बदले, 4.12.18 (11.59.59 बजे) तक नामांकित अभ्यर्थी पंजीकरण हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण पोर्टल भी पूर्वसूचित 5.12.18 (11.59.59 बजे) के बदले 7.12.18 (11.59.59 बजे) तक खुला रहेगा।

2. यदि कोई अभ्यर्थी संबन्धित श्रेणी में 5.12.18 से 16.12.18 के बीच नामांकित होता है, तब उन्हे, अनंतिम आधार (प्रोविज़नल बेसिस) पर पंजीकरण व परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को अनंतिम (प्रोविज़नल) पंजीकरण हेतु नासिन को ईमेल द्वारा gstp.nacin@gmail.com पर निवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी नासिन द्वारा नियत परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की पंजीकरण फीस उनकी पात्रता/अपात्रता के बावज़ूद अप्रतिदेय है।

****